<u>कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।</u>

<u>प्रेस-नोट</u>

<u>दिनांक- 16-04-2024</u>

<u>विषय:- फ्लैट देने के नाम पर झाँसा देकर पैसा ले लेने का आरोपी थाना चितईपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार।</u>

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम तथा आगामी लोकसभा चुनाव- 2024 के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व थानाध्यक्ष चितईपुर के नेतृत्व में थाना चितईपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-32/2024, धारा- 409/420/504/506 भा0द0वि0 थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त ऋषिकेश उपाध्याय पुत्र स्व0 परमात्मा उपाध्याय नि0 एन8/254सी3 नेवादा सुंदरपुर थाना चितईपुर वाराणसी उम्र 38 वर्ष को दिनांक- 15.04.2024 को अभियुक्त को उसके घर नेवादा से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का विवरण-</u> वादी मुकदमा विनोद शर्मा पुत्र श्री रंग लाल शर्मा ग्राम नरिया थाना चितईपुर वाराणसी द्वारा इन्फ्रा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अविनाथ उपाध्याय व इस कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के सात लोगो द्वारा प्रार्थी को फ्लैट देने के नाम पर झाँसा देकर पैसा ले लेने के सम्बन्ध में।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1- ऋषिकेश उपाध्याय पुत्र स्व0 परमात्मा उपाध्याय नि0 एन8/254सी3 नेवादा सुंदरपुर थाना चितईपुर वाराणसी उम्र 38 वर्ष।

<u>अपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0- 0032/2024 धारा 409,420,504,506 भादवि थाना चितईपुर कमि0 वाराणसी
2. मु0अ0सं0- 0054/2024 धारा 406,409,420,504,506 व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(v) एससीएसटी एक्ट

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1- थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार थाना चितईपुर कमि0 वाराणसी

2- उ0नि0 प्रेम नारायण ओझा थाना चितईपुर कमि0 वाराणसी

3- हे0का0 राकेश सिंह थाना चितईपुर कमि0 वाराणसी

4- का0 धीरज यादव थाना चितईपुर कमि0 वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।